

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। संव साधारण को और विशेष रूप से ऋणियों/जमानतदारों को विशेषतः यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक/प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का अधिग्रहण रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक रूप से पंजाब नैशनल बैंक प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि, ऋणियों/जमानतदारों से पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार की बकाया ऋण राशि की वसूली हेतु बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य, अग्रिम राशि (धरोहर राशि) संबंधित संपत्ति के आगे नीचे दी गई तालिका में वर्णित है।

ई-नीलामी की दिनांक एवं समय: 08.06.2026, प्रातः 11.00 से सायं 04.00 बजे तक (ईएमडी जमा की अंतिम दिनांक 07.06.2026 सायं 05.00 बजे तक)
प्रतिभूत आस्ति की अनुसूची

लॉट नं.	शाखा कार्यालय खाते का नाम ऋणियों/जमानतदारों का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण (बंधककर्ता का नाम)	(ए) 13(2) नोटिस की दिनांक (बी) बकाया ऋण राशि दिनांक तक (सी) कब्जा दिनांक (डी) कब्जे का प्रकार प्रतितात्कालिक/भौतिक/रचनात्मक	(ए) आरक्षित मूल्य (रु. में लाख) (बी) धरोहर राशि (ईएमडी) (सी) बोली वृद्धि राशि	प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात भार का विवरण
1	पोएनबी- बाड़ी जिला धौलपुर (राज.) श्री साजिद पुत्र श्री समसुद्दीन, पता- संत रास पाड़ा, शेर गली, बाड़ी, धौलपुर। गारंटर: श्री सिकंदर पुत्र श्री समसुद्दीन अली	श्री साजिद पुत्र श्री समसुद्दीन के नाम से सम्पत्ति के सभी अंश व हिस्से जिसमें सांथिक बंधक मकान जो मोहल्ला हवेली पाड़ा, बाड़ी, तहसील बाड़ी, जिला- धौलपुर राजस्थान में स्थित है। क्षेत्रफल 97.54 वर्गमीटर।	ए) 03.08.2019 बी) रु. 12.08 लाख + आगे का ब्याज सी) 24.10.2019 डी) सांकेतिक	ए) रुपये 10.74 लाख बी) रुपये 110000/- सी) रुपये 11000/-	ज्ञात नहीं
2	पोएनबी- कामां जिला डींग (राज.) ऋणी: श्री मनोज कुमार पुत्र शिव सिंह; सुन्हेरा, बससाना, कामां जिला भरतपुर।	आवासीय सम्पत्ति (मकान) जो गांव सुन्हेरा, कामां में स्थित जिसका क्षेत्रफल 71.11 वर्गगज है।	ए) 08.09.2022 बी) रु. 2.09 लाख + आगे का ब्याज सी) 22.06.2022 डी) सांकेतिक	ए) रुपये 3.78 लाख बी) रुपये 37800/- सी) रुपये 5000/-	ज्ञात नहीं
3	पोएनबी- बाड़ी जिला धौलपुर (राज.) मेसर्स आर.के. डेडीमेड गार्मेंट्स प्रोप. श्री राकेश कुमार, परदेसिया मोहल्ला, गुमट, बाड़ी, धौलपुर। गारंटर- श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री फुसिया, परदेसी मोहल्ला, गुमट, बाड़ी।	श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री फुसिया के नाम से सम्पत्ति के सभी अंश व हिस्से जिसमें सांथिक बंधक मकान जो वार्ड नं. 3, मोहल्ला गुमट, बाड़ी, तहसील- बाड़ी, जिला-धौलपुर राजस्थान में स्थित, क्षेत्रफल 569.25 वर्गफीट।	ए) 20.08.2019 बी) रु. 15.70 लाख + आगे का ब्याज सी) 24.10.2019 डी) सांकेतिक	ए) रुपये 8.57 लाख बी) रुपये 85700/- सी) रुपये 5000/-	ज्ञात नहीं

शर्तें व निबन्धन— 1. विक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निम्नलिखित शर्तों और निबन्धनों के अधीन होगी। 2. सम्पत्ति को "जो जहाँ है, जो जैसा है, और जो कुछ भी है" के रूप में बेचा जाएगा। 3. इस अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्ति के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की प्राप्त पूर्ण जानकारी के अनुसार ही प्रतिभूत आस्तियों को उपर दिखाई गई तालिका के अनुसार बेचा जाएगा, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 4. उपरवर्तित विक्री वेबसाइट <https://baaneknet.com> पर दिनांक 08.06.2026 को ई नीलामी के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी। 5. विक्रय की विस्तृत जानकारी हेतु व निबन्धन और शर्तों के लिए कृपया <https://baaneknet.com> एवं <https://pnbbank.in> देखें।

सफरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अधीन विक्रय की 15 दिवस वैधानिक सूचना
प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार
दिनांक 18.05.2026 स्थान: भरतपुर